न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 115/2015 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2015/00171

1. अमर सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पज्जाबा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. कुशाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पज्जाबा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
3. रानोबाई पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पज्जाबा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. शांताबाई पुत्री बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पज्जाबा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।

—— **अपीलान्टस**

बनाम

1. अर्जन सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी.बड़ी. तहसील श्रीगंगानगर।
2. सुरजीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी.बड़ी. तहसील श्रीगंगानगर।
3. भानसिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी.बड़ी. तहसील श्रीगंगानगर।
4. कौशल्या बेवा गुरमुख सिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी.बड़ी. तहसील श्रीगंगानगर।
5. ग्राम पंचायत औड़की जरिये सरपंच ग्राम पंचायत/सचिव।

—— **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1 ता 4

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1— विवादित भूमि चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 113/103 मुरब्बा नंबर 60 किला नंबर 4 ता 7, 13/2 से 18 व 23 ता 25 की कुल 3.048 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अपीलांट्स के पिता स्व. बख्तावर सिंह को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित थी। अपीलांट्स के पिता स्व. बख्तावर सिंह का देहान्त को हो जाने पर उक्त विवादित आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर ने विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 19.03.2015 को पारित किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 19.03.2015 की पालना में ग्राम पंचायत ओडकी ने विवादित आराजी का इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 को निरस्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की अपील को रिमाण्ड कर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 को निरस्त करने के आदेश दिनांक 10.09.2015 पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी जैर अपील भूमि अपीलांट्स के पिता स्व. बख्तावर सिंह को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित थी। अपीलांट्स के पिता स्व. बख्तावर सिंह का देहान्त दिनांक 23.05.2012 को हो जाने पर उक्त विवादित आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2015 से ग्राम पंचायत ओडकी ने दिनांक 20.03.2015 को विरासतन इंतकाल संख्या 710 दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 पारित करते हुए इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2015 की अनुपालना में दर्ज इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जो कि अधीनस्थ न्यायालय में मेन्टेनेबल ही नही थी। आवंटी को उक्त विवादित भूमि बतौर कस्टोडियन आवंटित थी, जो आज तक रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज हैं, जिसका किसी भी तरीके से हस्तांतरण संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने संपूर्ण आदेश में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 133—135 के सामान्य निर्देशों की पालना नहीं होना बताकर इंतकाल निरस्त किया है, जबकि ये नियम विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 1 की मृत्यु दिनांक 20.02.2015 को हो चुकी है और अपील दिनांक 20.03.2015 को पेश हुई, जिस पर

संभागीय आयुक्त बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस यह भी अवगत कराया कि सिविल न्यायालय द्वारा बैयनामा दिनांक 22.01.1975 को शून्य घोषित किया जा चुका है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने भी दिनांक 16.08.2018 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा रजिस्टर बैयनामा दिनांक 22.01.1975 के आधार पर किये गये वादपत्र को निरस्त करते हुए अपीलांट्स के हक में डिक्री के आदेश पारित कर दिये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 710 को पुनः बहाल करने के आदेश फरमाये जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने बहस के दौरान कथन किया कि इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 ग्राम पंचायत ओडकी से प्रस्ताव लेकर दर्ज किया है। अपीलांट्स के पिता स्व. बख्तावर सिंह ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी को जरिये बैयनामा दिनांक 22.01.1975 को तथा शेष आराजी को जरिये इकरारनामा दिनांक 22.04.1992 को बेचान कर दी। सनद जारी नही होने के कारण धारा 19(2) डीपीएक्ट के तहत नियमन की कार्यवाही पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ओडकी ने इंतकाल नियमों की पालना ना कर लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन किये बिना ही विवादित इंतकाल संख्या 710 दर्ज किया, जो न्यायोचित नहीं है। वरवक्त बहस अभिभाषक ने उक्त विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में दायर वादपत्र में हुए निर्णय के बारे में जानकारी न होना अवगत कराया। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। विवादित कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 710 तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2015 की पालना में ग्राम पंचायत ओडकी ने दिनांक 20.03.2015 को दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 को निरस्त कर दिया, जबकि उक्त इंतकाल तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में दर्ज हुआ है। सिविल न्यायालय द्वारा बैयनामा दिनांक 22.01.1975 को शून्य घोषित कर निरस्त किया जा चुका है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने भी दिनांक 16.08.2018 को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा रजिस्टर बैयनामा दिनांक 22.01.1975 के आधार पर किये गये वादपत्र को निरस्त करते हुए अपीलांट्स के हक में डिक्री के आदेश पारित कर दिये है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 नियमानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ओडकी द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 710 दिनांक 20.03.2015 को यथावत रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 निरस्त किया जाता है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर